

राजस्थान सरकार
निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग, राजस्थान, जयपुर

आयुष भवन, सेक्टर 26, प्रताप नगर, जयपुर-302033 फोन नं. 0141-2796625 मेल directorunani@rajasthan.gov.in
क्रमांक:- प्रति.2/नर्स-कम्पा./च.श्रे./अधि.से.नि./2022-23/ दिनांक:-

आदेश

वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.1(6)एफ.डी./नियम/98 दिनांक 24.05.2004 के अनुदेशों के तहत तथा शासन उप सचिव, आयुष विभाग, जयपुर के पत्र क्रमांक: प.10(41)आयु./2021 जयपुर दिनांक 15.12.2021 की अनुपालना में यूनानी चिकित्सा विभाग के निम्नांकित नर्स-कम्पा. एवं चतुर्थ श्रेणी/परिचारक द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 (अप्रैल 2022 से मार्च 2023) में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित दिनांक को मध्यान्ह पश्चात् राज्य सेवा से सेवा-निवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम कार्मिक	पिता/ पति का नाम	पद	पदस्थापन स्थान	जन्म दिनांक	सेवा निवृत्ति दिनांक
1	श्री नवल सिंह	श्री दूलहराम	वरिष्ठ कम्पा.	राज.यू.औष., जौहरी बाजार-जयपुर	05.01.1963	31.01.2023
2	श्री चौथमल शर्मा	श्री चम्पा लाल	चतुर्थ श्रेणी/ परि.	राज.यू.औष., खेरातियों का बास-जोधपुर	03.04.1962	30.04.2022
3	श्री विनोद कुमार	श्री पुखराज जी	चतुर्थ श्रेणी/ परि.	राज.यू.औष., गुलजारपुरा-जोधपुर	25.04.1962	30.04.2022
4	खातु	रतना	चतुर्थ श्रेणी/ परि.	राज.यू.औष., बांसवाड़ा	16.06.1962	30.06.2022

नोट :- उक्त सूची में अंकित किसी भी कार्मिक के विरुद्ध वर्तमान में:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम-1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

निदेशक

दिनांक: 29-03-22

क्रमांक:- प्रति.2/नर्स-कम्पा./च.श्रे./अधि.से.नि./2022-23/1541-45

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. शासन उप सचिव, आयुष विभाग, जयपुर
2. निदेशक, आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर।
3. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर, जोधपुर, उदयपुर।
4. यूनानी चिकित्साधिकारी, राज.यू.औष., जौहरी बाजार-जयपुर, खेरातियों का बास, गुलजारपुरा-जोधपुर, बांसवाड़ा को देकर लेख है कि संबंधित कार्मिक को सेवा निवृत्ति दिनांक पर राज्य सेवा से सेवा-निवृत्त कर सूचना इस कार्यालय को प्रेषित करें।
5. संबंधित कार्मिक श्री.....।
6. नोडल अधिकारी विभागीय वेबसाईट, यूनानी निदेशालय, जयपुर को उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
7. लेखा शाखा, कार्यालय हाजा
8. रक्षित पत्रावली।

निदेशक